झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में,

सीएमपी संख्या 424/2019

---

1. आनंदी सिंह

2. आरबी प्रसाद .....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2 रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, झारखंड
सरकार, रांची

3. जिला सहकारी अधिकारी, बोकारो

4. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण

5. प्रो. बाड़ी कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड

6. जनार्दन प्रसाद

7. अभिलाषा अम्बरम इन्फ्रा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

.....प्रतिवादी

कोरम:न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए:सुश्री अपूर्वा सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री गौतम कुमार, अधिवक्ता

आदेश संख्या 03:दिनांक 6 सितंबर, 2019

यह तत्काल सिविल विविध याचिका रिट याचिका संख्या 4891/2017 के पुन: स्थापन के लिए दायर की गई है, जिसे दिनांक 11.03.2019 के आदेश का अनुपालन न करने के लिए दिनांक 25.03.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता की विद्वत अधिवक्ता सुश्री अपूर्वा सिंह ने प्रस्तुत किया है कि त्रुटि को अनुल्लंघनीय अवधि के बाद दूर कर दिया गया है, लेकिन रिट याचिका को 11.03.2019 के अनिवार्य आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया है। फिर भी, चूंकि त्रुटियों को दूर कर दिया गया है, इसलिए, रिट याचिका को इसकी मूल फाइल में पुन: स्थापित किया जाए, अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

श्री गौतम कुमार, प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया है कि उचित आदेश पारित किया जा सकता है।

यह न्यायालय पक्षकारों के विद्वत वकील को सुनने के बाद और याची के विद्वत वकील द्वारा प्रस्तुत पूर्वोक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, रिट याचिका (सी) सं. 4891/2017 को इसकी मूल फाइल में पुन: स्थापित करके तत्काल याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार करना उचित और सही समझता है.

इस न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि त्रुटियों को दूर कर दिया गया है।

दनुसार, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका को उपयुक्त शीर्षक के तहत प्रस्तुत करें।

सिविल विविध याचिका का निपटारा किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)

अलंकार/-